निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 955) पटना, मंगलवार, 25 अगस्त 2015

सं0 वि0(27) पे0 को0(मु0)-129/2010—1054/वि0

वित्त विभाग

संकल्प

24 अगस्त 2015

विषयः—C.W.J.C. No.-12333/2010 वीणा झा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 15.05.14 के सशर्त्त (एल0 पी0 ए0 सं0-1348/14 के फलाफल से प्रभावित होगा) अनुपालन के संबंध में निर्गत वित्त विभागीय पत्रांक-857/ दिनांक 13.07.2015 की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-819 दिनांक 23.9.2009 जो निर्गत की तिथि से प्रभावी है के कंडिका-2(ii) (ब)क में यह प्रावधान है कि जो सरकारी सेवक 01.01.2006 तक आदेश निर्गत की तिथि के बीच 33 वर्षो की सेवा पूरी कर सेवा निवृत्त हुआ है उसे सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत दोनों में जो अधिक लाभकारी हो पेंशन स्वरूप स्वीकृत किया जाएगा, किन्तु इस अवधि में जो सरकारी सेवक 33 वर्षो से कम अर्हक सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुआ है, उसका पेंशन वास्तविक अर्हक सेवा के अनुपात में कम करके निर्धारित किया जाएगा ।

2. श्रीमती वीणा झा द्वारा उक्त संदर्भित वित्त विभागीय संकल्प के प्रावधान को निरस्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-12333/2010 दायर किया गया । उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2014 को यह आदेश पारित किया गया कि- "In view of the above, the court comes to a considered opinion that the benefit of only 20 years of service for pension would be extended to all such persons, who has superannuated on or after 01.04.2007 instead of 23.09.2009, the date of the notification. The relevent clause of Resulution No. 137/08 is hereby struck down and the writ applications are allowed in the terms of the above."

3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.5.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध एल0 पी0 ए0 संख्या-1348/14 माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, जिसे सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया

गया है तथा संदर्भित मामले में दिनांक 08.01.2015 को पारित आदेश द्वारा विलम्ब को क्षांत (Condone) कर दिया गया है । परन्तु एकल बेंच के आदेश दिनांक 15.5.2014 के कार्यान्वयन को स्थगित करने हेतु दायर आई0 ए0 आवेदन संख्या-7451/2014 को अस्वीकार कर दिया गया है ।

4. श्रीमती वीणा झा द्वारा माननीय न्यायालय के दिनांक 15.05.2014 पारित आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण एम0 जे0 सी0 संख्या-3872/2014 वीणा झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया । उक्त अवमाननावाद में अपर महाधिवक्ता संख्या-2 के ज्ञापांक-5202 दिनांक 02.07.2015 को ध्यान में रखते हुए सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-12333/2010 में दिनांक 15. 05.2014 को पारित आदेश का अनुपालन करने हेतु सचिव,बिहार विधान सभा को वित्त विभागीय पत्रांक सह-ज्ञापांक-857 दिनांक 13.07.2015 द्वारा निदेश दिया गया है कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-12333/2010 में पारित न्यायादेश दिनांक 15.5.14 का अनुपालन इस शर्त्त के साथ किया जाय कि वह एल0 पी0 ए0 सं0-1348/2014 में पारित होनेवाले अंतिम निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा तथा अन्य किसी मामले में उक्त न्यायादेश दिनांक 15.05.2014 प्रभावी नहीं होगा ।

5. राज्य सरकार द्वारा अवमाननावाद संख्या-3872/2014 वीणा झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में अपर महाधिवक्ता संख्या-2, उच्च न्यायालय, पटना के ज्ञापांक-5202 दिनांक 02.07.15 के प्रसंग में वित्त विभागीय पत्रांक सह-ज्ञापांक-857 दिनांक 13.7.2015 द्वारा सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 संख्या-12333/2010 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.5.14 को पारित आदेश के सशर्त्त (एल0 पी0 ए0 सं0-1348/14 के फलाफल से प्रभावित होगा) अनुपालन के संबंध में लिए गए विभागीय निर्णय की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है ।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एच0 आर0 श्रीनिवास,
सचिव (संसाधन) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 955-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in